सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स

सी-डॉट
C-DOT

वार्षिक रिपोर्ट
2007-08

सी-डॉट
C-DOT

विषय सूची

सी–डॉट प्रबंधन मंडल 3

विहगावलोकन 4

विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति 5

अन्य कार्यकलाप 8

लेखा विवरण 11

सी-डॉट
C-DOT

प्रबंधन मंडल

शासी परिषद

अध्यक्ष

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

उपाध्यक्ष

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

सदस्य

रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार
अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग
सदस्य (प्रभारी सी–डॉट), दूरसंचार आयोग
सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग
सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत संचार निगम लिमिटेड
कार्यकारी निदेशक, सी–डॉट
निदेशकगण, सी–डॉट

संचालन समिति

अध्यक्ष

अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग

उपाध्यक्ष

सदस्य (प्रभारी सी–डॉट), दूरसंचार आयोग

सदस्य

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई.टी.आई. लिमिटेड
निदेशक (योजना), भारत संचार निगम लिमिटेड
वरिष्ठ उप–महानिदेशक, टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर
उप–महानिदेशक (टीपीएफ), दूरसंचार आयोग
वरिष्ठ निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
कार्यकारी निदेशक, सी–डॉट
निदेशकगण, सी–डॉट

परियोजना मण्डल

अध्यक्ष

कार्यकारी निदेशक, सी–डॉट

सदस्य

निदेशकगण, सी–डॉट

विहगावलोकन

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी–डॉट) भारत सरकार का दूरसंचार प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र है। सी–डॉट फिक्स्ड लाईन, मोबाइल तथा पैकेट आधारित कन्वर्ज्ड नेटवर्कों और सेवाओं के लिए संपूर्ण दूरसंचार समाधान विकसित करता है।

सी–डॉट दूरस्थ क्षेत्रों और देश के सामरिक महत्व के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त और लागत प्रभावी दूरसंचार प्रौद्योगिकियां तथा समाधान उपलब्ध कराके राष्ट्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सी–डॉट मौजूदा समय में बाजारोन्मुख, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य तथा तेजी से बदलते प्रौद्योगिक परिदृश्य के लिए अनुकूल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान दे रहा है।

विश्वस्तरीय विकास अवसंरचना और व्यापक उत्पाद श्रृंखला के साथ सी–डॉट सीधे और नीतिपरक गठबंधन तथा साझेदारी के माध्यम से भी संपूर्ण दूरसंचार समाधान उपलब्ध कराता है। सी–डॉट ने अपने प्रौद्योगिकी लाइसेंसधारकों, उपस्कर विनिर्माताओं, नेटवर्क ऑपरेटरों और सेवा प्रदाताओं के साथ दीर्घावधिक संबंध स्थापित किए हैं।

सी–डॉट की उत्पाद श्रृंखला में एडवान्स्ड इंटेलीजेंट नेटवर्क समाधान, एक्सेस नेटवर्क समाधान, उपग्रह संचार प्रणालियां, नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियां, प्रचालन समर्थन प्रणालियां, वॉइस तथा डाटा संचार के लिए सैल तथा पैकेट प्रौद्योगिकियां ग्रामीण वायरलैस अभिगम्यता तथा सॉफ्टवेयर परिभाषित तथा कॉग्निटिव रेडियो पर आधारित ब्रॉडबैंड समाधान शामिल हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उद्देश्य

वित्तीय वर्ष 2007–08 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होने के नाते सी–डॉट के संदर्भ में पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है।

सी–डॉट द्वारा ग्यारहवीं योजना में महत्व दी जा रही योजनाओं में सुरक्षा, सामरिक क्षेत्र, ग्रामीण ब्रॉडबैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी पर बल दिया जा रहा है। ये प्रौद्योगिकी योजनाएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित दूरसंचार समाधान ही उपलब्ध नहीं कराएगीं बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न कार्यक्रमों में भी योगदान देंगी।

सी–डॉट को केंद्रीकृत लॉफुल इंटरसैप्शन, निगरानी तथा विश्लेषण और रक्षा तथा सरकारी एजेंसियों के लिए सुरक्षित नेटवर्क सहित दूरसंचार सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य का दायित्व भी सौंपा गया है। इनके अतिरिक्त, सी–डॉट बाजारोन्मुख परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहा है।

31 मार्च 2008 को विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति

वर्ष 2007–08 के लिए प्रमुख कार्यकलाप 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार ही तैयार किए गए थे। अनुसंधान और विकास प्रयास मौजूदा प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को तार्किक समापन के निकट ले जाने और वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा आगे के लिए प्रस्तावित नए प्रौद्योगिकी–क्षेत्रों के संबंध में प्रारंभिक अध्ययन/शोध कार्य शुरू करने पर केंद्रित रहे। तकनीकी परियोजनाओं में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां/प्रगति हुई।

एडवांस्ड इंटेलीजेंट नेटवर्क (एआईएन)

- वायरलैस इंटेलीजेंट नेटवर्क (विन) प्रणाली के लिए फील्ड परीक्षण प्रगति पर है। विन सेवा के फील्ड परीक्षण के लिए ज़ेडटीई (ZTE) स्विच के साथ इंटर–वर्किंग पूरी की गई। ज़ेडटीई स्विच के साथ एकीकरण और परीक्षण विन समाधान के लिए आवश्यक फील्ड परीक्षण के हिस्से के रूप में चल रहा है।

- बहु–प्रचालक और बहु–नेटवर्क परिदृश्य में टीआरएआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में एमटीएनएल के नेटवर्क में लगे हुए सी–डॉट के पारम्परिक आईएन समाधान को अंतरित कर प्रस्तावित सवंर्द्धित एआईएन समाधान लगाने के लिए महानगर टेलीफोन लिगम लिमिटेड को प्रस्तुतिकरण किया गया। इस प्रस्ताव पर कार्य आगे बढ़ाने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पत्र की प्रतीक्षा है। यह परियोजना जानरिक प्लेटफार्म स्तर पर लाई गई है।

- कन्वर्ज्ड नेटवर्क के लिए आईएन हेतु विनिर्देश तैयार करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। कन्वर्ज्ड नेटवर्क सेवाओं के लिए आईएन प्रदान करने हेतु सॉफ्टस्विच के साथ सी–डॉट आईएन समाधान की इंटर–वर्किंग की संभावना की तलाश की जा रही है।

फाइबर तथा उपग्रह पर हाईबिट रेट नेटवर्क बैकबोन

- ट्रिपल प्ले सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक अनुप्रयोग से लेकर फाइबर–टू–द–होम (एफटीटीएच) अभिगम्यता तक के लिए एसएफयू (छोटा परिवार ईकाई), आवास अनुप्रयोग तथा एसओएचओ (छोटा कार्यालय/घरेलू कार्यालय)– अनुप्रयोगों के लिए ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन (ओएनटी) की दो किस्मों हेतु गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जी–पॉन) प्रणाली का विकास कार्य प्रगति पर है। फाइबर–टू–कर्ब अभिगम्यता प्रदान करने के लिए केंद्रीय कार्यालय उपस्कर अर्थात् ओएलटी (ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन यूनिट) तथा बाहरी संयंत्र उपस्कर, ओएनयू (ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट) के लिए डिजाइन कार्यकलाप भी शुरू किए जा चुके हैं।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा आगामी आवश्यकता वाले क्षेत्रों के लिए ब्रॉडबैंड उपग्रह प्रणाली हेतु केयू बैंड तथा ई 3 मोडेम (पूर्वोत्तर तथा अन्य) के लिए एसटीएम–। दर हेतु प्रणाली एकीकरण और लैब परीक्षण पूरा हो चुका है।

वॉइस तथा डाटा कन्वर्जेंस के लिए सैल तथा पैकेट प्रौद्योगिकी

- आईपी/एमपीएलएस राउटर के लिए प्रणाली एकीकरण पूर्ण हो चुका है तथा प्रयोगशाला परीक्षण प्रगति पर है।

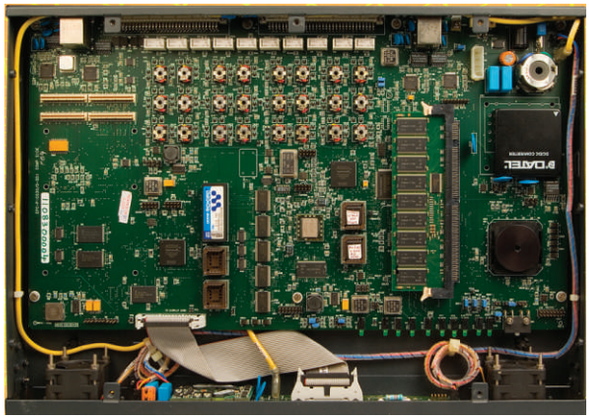

सिग्नलिंग और मीडिया गेटवे तथा सी–डॉट सॉफ्ट स्विच के प्रारंभिक रूपांतर के लिए प्रोटोटाइप तैयार हैं तथा आंतरिक वैधीकरण चल रहा है।

- नई एनजीएन सेवा अर्थात वीडियो कॉल तथा वीडियो मेल के लिए विनिर्देशन तैयार करने का काम प्रगति पर है।

- सी–डॉट एनजीएन समाधान की वर्ग 4 (आईपीटैक्स) तथा वर्ग–5 (उपभोक्ता) सेवा के परीक्षण के लिए आबंटित फील्ड परीक्षण स्थलों पर लगाई गई प्रौद्योगिकी में नीतिपरक साझेदारों के साथ अतिरिक्त फार्म और विशेषताएं अर्थात परियात, बिलिंग, नई एनजीएन सेवाएं–वीडियो कॉल इत्यादि जोड़ी जा रही हैं तथा इन संवर्द्धित कार्यों के लिए व्यावसायिक परीक्षण हेतु इनकी जांच की जा चुकी है। सी–डॉट द्वारा विकसित संघटकों का फील्ड परीक्षण संघटकों से एकीकरण चल रहा है।

- सी–डॉट सॉफ्ट स्विच में वर्ग–5 सेवाएं भी कार्यान्वित की गई हैं।

उत्पाद संवर्द्धन तथा फील्ड समर्थन

- प्रवर्तन निदेशालय के लिए सीआईआईएस (कॉल इंटरसैप्शन एवं इंटेलीजेन्स प्रणाली) के लिए फील्ड परीक्षण चल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशालय में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए इंटरफेस समर्थन प्रदान करने के लिए सीआईआईएस हेतु समानांतर में संवर्द्धन कार्य भी प्रगति में है। हाल ही में हरियाणा पुलिस की निविदा आवश्यकताओं इत्यादि के लिए एडवान्स्ड लॉफुल इंटरसैप्शन कार्य का विकास भी पूर्ण किया जा चुका है। पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए सीआईआईएस फीचर संवर्द्धन–फैक्स तथा डाटा (इंटर्नल डायल–अप के माध्यम से) पता लगाना और – इंटरसैप्शन किया जा रहा है।

- भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लिए क्लियरिंग हाउस अनुप्रयोग को फील्ड परीक्षण के लिए एकीकृत किया गया है। इन नेटवर्कों में क्लियरिंग हाउस अनुप्रयोग के लिए फील्ड परीक्षण और एटी (स्वीकृत परीक्षण) पूर्ण हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में व्यावसायिक आधार पर अनुप्रयोग लगाने के लिए विचार–विमर्श चल रहा है। क्लियरिंग हाउस अनुप्रयोग फीचर संवर्द्धन का कार्य भी पूर्ण हो चुका है।

- फील्ड में मौजूदा सी–डॉट प्रौद्योगिकियों को तकनीकी समर्थन के रूप में बिलिंग केन्द्रों को कॉल ब्यौरे का रिकॉर्ड (सीडीआर) अंतरित करने के लिए कॉम्पैक्ट इमबेडिड प्रणाली (सीईएस) का विकास और वैधीकरण पूरा हो चुका है तथा इसका फील्ड परीक्षण शीघ्र किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर अर्थात 2–2–1–9 के लिए नये फील्ड रिलीज को अंतिम रूप देकर फील्ड परीक्षण हेतु लाडवा (कुरूक्षेत्र, हरियाणा) में लगाया गया है। इसमें सेंटरेक्स फीचर, सीईएस के लिए इंटरफेस तथा उपभोक्ता तथा ट्रंक हेतु विशेष प्राथमिकता संवर्द्धन जैसे प्रमुख संवर्द्धन शामिल हैं।

- सी–डॉट मैक्स तथा रैक्स को वीओआईपी क्षमता सहित भावी पीढ़ी के प्रौद्योगिकी स्विचों में अंतरित करने के लिए संवर्द्धन जारी है। मैक्स के लिए सिग्नलिंग गेटवे तथा कम क्षमता का मीडिया गेटवे प्रोटोटाइप तैयार है।

- जीएसएम तथा ट्रंक स्वचलित एक्सचेंज एनएमएस के लिए समर्थन का कार्य इस समय चल रहा है।

कानून लागू करने के लिए सुरक्षा प्रबंधन

- सी–डॉट द्वारा 2007–08 के दौरान शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएं दूरसंचार सुरक्षा संबंधी हैं। इनमें कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए केंद्रीकृत सुरक्षा प्रबन्धन प्रणालियां और सुरक्षित नेटवर्क का निर्माण शामिल है। आवश्यकताएं और कार्यनीति तैयार करने के लिए विविध एजेंसियों के साथ कई बैठकों में भाग लेने के बाद विर्निदेशन, वास्तुशिल्प और नेटवर्क आयामीकरण का कार्य शुरू किया गया। सी–डॉट मैन्युअल अनुरोध आधारित प्रणाली को परीक्षण स्तर तक तैयार कर चुका है तथा शीघ्र ही इसे व्यावसायिक स्तर पर लाने का प्रस्ताव है। जिसके जरिए अंकीय रूप से स्वचालित प्रावधान, निगरानी और विश्लेषण प्रणाली से शुरू करते हुए लॉफुल इंटरसैप्शन, निगरानी और विश्लेषण के भावी चरणों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। आईपी इंटरसैप्शन वास्तुशिल्प को एक प्लेटफॉर्म पर कॉनफिगर किया गया है। नीतिपरक आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित नेटवर्क का कार्यान्वयन शुरू किया जा चुका है। दूरस्थ प्लेटफॉर्म से लक्ष्य प्रावधान का परीक्षण भी किया गया है तथा इसे सी–डॉट (सीआईआईएस) प्लेटफॉर्म पर कॉनफिगर किया गया है।

नीतिपरक तथा उद्यम समाधान

- सरकारी एजेंसियों तथा रक्षा विभाग के लिए सुरक्षित नेटवर्क के लिए नया अध्ययन शुरू किया गया तथा प्रोटोटाइप कार्यान्वयन को प्रायोगशालाओं में प्रदर्शित किया गया।

ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकियां

- ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी पूर्वोत्तर तथा ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियां भी अन्य कार्यक्रम हैं।

- पूर्वोत्तर तथा ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों के लिए सी–डॉट मैक्स प्रौद्योगिकी से भावी पीढ़ी की आईपी आधारित–प्रौद्योगिकी में अंतरण के लिए विकासकार्य चल रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके पाइलट परीक्षण का प्रस्ताव है। उच्च क्षमता वाले राउटर्स का अध्ययन भी पूर्ण हो चुका है।

- मैक्स– भावी पीढ़ी (मैक्स–एनजी) के लिए अधिकांश संघटकों का संवर्द्धन कार्यान्वित हो चुका है। शेष संघटकों को भी फील्ड परीक्षण के बाद पूर्ण किया जाएगा।

ग्रामीण प्रौद्योगिकियां

- ग्रामीण प्रणाली का फील्ड परीक्षण सेलम में बीएसएनएल के नेटवर्क में सॉफ्टवेयर रेडियो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए किया गया।

- ग्रामीण ब्रॉडबैंड प्रणाली का प्रणाली एकीकरण कार्य प्रगति पर है।

अन्य कार्यकलाप

व्यवसाय संवर्द्धन कार्यकलाप

- सी–डॉट मिस्ड कॉल एलर्ट (एमसीए) प्रणाली बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क में लगाई गई हैं। इसे यूरोपीय प्रचालक नेटवर्क में व्यावसायिक आधार पर फील्ड परीक्षण के लिए चुना गया है और इसके सफल समापन पर इसे अन्य देशों में शामिल किए जाने की योजना है।

- प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय में लॉफुल प्रवर्तन निगरानी कार्य (एलईएमएफ) को लगाने के सी–डॉट के तकनीकी व्यावसायिक प्रस्ताव को स्वीकार किया और इसके लिए परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं। इस परियोजना के सफल समापन के बाद यह समाधान निदेशालय के विभिन्न अन्य क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय कार्यालयों में लगाया जाएगा।

- बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को डाटा क्लियरिंग हाउस (डीसीएच) सेवाएं संयुक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स सिनिवर्स टैक्नोलॉजीस के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बीएसएनएल द्वारा जीएसएम रोमिंग के लिए डाटा क्लियरिंग हाउस उपलब्ध कराने हेतु जारी ''रूचि की अभिव्यक्ति'' (ईओआई) के वास्ते सी–डॉट और सिनिवर्स ने संयुक्त रूप से बोली प्रस्तुत की है।

- टैक्स और जीएसएम नेटवर्क के लिए उत्पाद समर्थन हेतु समर्थन कार्य प्रगति पर है।

- एटीएस प्रौद्योगिकी के उत्पादों से संबंधित विकास, उत्पादन और स्थापना कार्यकलापों में सी–डॉट, भारतीय नौसेना और मैसर्स बीईएल के बीच सहयोग के लिए ढांचा स्थापित करने हेतु एक त्रिपक्षीय व्यापक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तत्पश्चात्, भारतीय नौसेना के प्रयोग के लिए ग्राहक–अनुकूलन, स्थापना, अनुरक्षण और समर्थन हेतु परियोजना समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। मैसर्स बीईएल तथा सी–डॉट के बीच एक परियोजना समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत सी–डॉट भारतीय नौसेना की सीएमएस–एसएनएफ परियोजना के लिए सी–डॉट एनआईयू और सी–डॉट एनएचएमएस उत्पादों हेतु आशोधित सॉफ्टवेयर का एकीकरण परीक्षण करेगा और सीएमएस–एसएनएफ परियोजना के अंतर्गत प्रथम जहाज के लिए तत्स्थलीय समर्थन भी उपलब्ध कराएगा।

- मैसर्स एल्फा डिजाइन टैक्नोलॉजीस प्रा. लि. के साथ 256 पी रैक्स रिलीज 2 के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए गए।

- सी–डॉट ने यूसोफा (सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि प्रशासन) की परियोजना ''भारत के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाईल कवरेज'' के लिए तकनीकी परामर्शदाता के रूप में देशभर में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समर्थन प्रदान किया।

- सी–डॉट ने देशभर में बीएसएनएल के पारेषण नेटवर्क के लिए बहु–प्रौद्योगिकी, बहु–विक्रेता ईएमएस तथा एनई के साथ इंटर–वर्किंग एनएमएस समाधान के विकास, वैधीकरण, स्थापना और अनुरक्षण हेतु मैसर्स एनएमएस वर्क्स सॉफ्टवेयर प्रा. लि. के साथ एक निश्चयात्मक समझौता किया है।

- सी–डॉट और आईबीएम इंडिया प्रा. लि. के बीच एक गैर–प्रकटीकरण समझौता तथा एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं। इस समझौता–ज्ञापन का उद्देश्य दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों में लगी कंपनियों में सहयोग का ढांचा स्थापित करना है।

- मैक्स तथा आईएन के लिए फील्ड समर्थन प्रगति पर है।

प्रदर्शनियां और सम्मेलन

सी–डॉट ने 10–12 सितंबर 2007 तक द ग्रैंड, नई दिल्ली में आयोजित ''बीएआरजी एण्ड रोमफैस्ट'' सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह बीएसएनएल द्वारा सह–प्रायोजित था। सी–डॉट क्लियरिंग हाउस, नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली और जीएसएम उत्पाद श्रृंखला में ग्रामीण वायरलैस समाधान को विशेष महत्व दिया गया।

सी–डॉट की सीआईआईएस टीम ने 17–21 सितम्बर, 2007 तक लैनॉइन, फ्रांस में ईटीएसआई द्वारा आयोजित लॉफुल इंटरसैप्शन संबंधी– दूसरी ईटीएसआई प्लगटैस्ट ईवेंट में हिस्सा लिया। इसमें अंतः प्रचालन योग्यता पर महत्व दिया गया था।

सी–डॉट ने दूरसंचार विभाग द्वारा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (फिक्की) और दूरसंचार उपकरण विनिर्माता संघ (टेमा) के सहयोग से 12–15 दिसंबर, 2007 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी ''इंडिया टेलीकॉम 2007'' में हिस्सा लिया। माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थिरू ए. राजा के साथ सम्मेलन का उद्घाटन विज्ञान भवन में किया। सी–डॉट टीम ने बहु–प्रचालक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो बीएसएस का लाईव–डेमो किया।

सी–डॉट ने 19 से 21 मार्च, 2008 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी ''कन्वर्जेंस इंडिया 2008'' में हिस्सा लिया।

सी–डॉट में हिंदी को बढ़ावा

सी–डॉट अपने दिल्ली और बंगलूर, दोनों कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रहा है। कर्मचारियों में अपना दैनिक सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से कई नवीन तथा रोचक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन किया गया। इनके अतिरिक्त, कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है।

सी–डॉट ने हिन्दी पखवाड़ा को 14 सितम्बर से 28 सितंबर 2008 तक ''हिन्दी उत्सव'' के रूप में आयोजित किया। सुप्रसिद्ध मीडियाकर्मी पद्मश्री विनोद दुआ को हिन्दी दिवस यानि 14 सितंबर, 2007 को उत्सव के उद्घाटन समारोह में ''इनसे मिलिए...'' कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। इस अवधि के दौरान विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दोनों केन्द्रों में 'हास्य कवि सम्मेलन' भी आयोजित किया गया।

वर्ष 2007–08 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सी–डॉट, बंगलूर को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बंगलूर द्वारा राजभाषा शील्ड

(तीसरा स्थान) से सम्मानित किया गया। माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने जनवरी, 2008 में बंगलूर कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण किया तथा सुधार के लिए उपायों के संबंध में सुझाव दिए।

सी–डॉट में प्रक्रिया सुधार

उत्पाद विकास और समर्थन सेवा प्रावधानों से संबंधित प्रक्रियाओं को सीएमएमआई मॉडल के आधार पर परिभाषित किया गया तथा इसे सी–डॉट के उत्पादों और कार्यकलापों के अनुरूप ढाला गया है। इन प्रक्रियाओं में इंजीनियरिंग, तकनीकी समर्थन, परियोजना प्रबंधन तथा परियोजना प्रबंधन कार्यकलाप शामिल हैं।

दिशानिर्देशों, टैम्प्लेट, प्रपत्र, जांचसूची और रिपोजिटरी सहित संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) को पूरे संगठन में सभी परियोजना कार्यकलापों में कार्यान्वयन के लिए जारी कर दिया गया है। प्रक्रिया कार्यान्वयन को नियमित निरीक्षणों, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन, लेखा–परीक्षा और बाह्य जांच के माध्यम से दुरूस्त बनाया जा रहा है। साथ ही, परिभाषित प्रक्रियाओं का स्थाईकरण और सुधार भी अभ्यास और फीडबैक के माध्यम से किया जा रहा है। प्रक्रियाओं की प्रभावोत्पादकता की निगरानी मैट्रिक्स एकत्रण तथा विश्लेषण के माध्यम से हो रहा है।

संगठन प्रक्रियाओं की परिभाषा और उनके कार्यान्वयन में स्थिरता प्राप्त करने के बाद सीएमएमआई मॉडल में औपचारिक मूल्यांकन के लिए तैयार हो रहा है।

वर्ष 2007–08 के दौरान प्राप्त अनुदान तथा व्यय

वर्ष के दौरान 99.00 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13.00 करोड़ रूपये शामिल हैं। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं पर अन्य लेखा समायोजनाओं के अलावा कुल 109.09 करोड़ रूपये का व्यय हुआ।

लेखों का विवरण
2007–2008

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट–दिनांक 18.09.09 का अनुलग्नक . . . 13

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन मंडल के उत्तर 14

अंकेक्षित लेखे 16

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 32

लेखाओं पर टिप्पणी 37

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट–दिनांक 18.09.09 का अनुलग्नक

क्र.सं.	संदर्भ पैरा	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन मंडल का उत्तर
1	पैरा 1	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी–डॉट) के सदस्यों को 31 मई, 2008 की हमारी रिपोर्ट के तहत हमने 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा को सत्यापित किया था।	यह वास्तविक विवरण है अतः कोई टिप्पणी नहीं की जा रही।
2	पैरा 2	लेखाओं को अंतिम रूप देते समय, एक लाइसेंसधारक से चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत 2279.99 लाख रु. की राशि को 31/05/08 को हस्ताक्षरित अनुसूची–16 (लेखाओं पर टिप्पणी)– (पैरा 1.1(ख) तथा 1.2 (क,ख,ग तथा घ) में वर्णित ब्योरे के अनुसार स्थाई परिसंपत्ति में परिवर्तित किया गया था।	प्रारंभ में यह सोचा गया था कि वर्ष 2006–07 तक लाइसेंसधारक से जिस बकाया राशि को चालू परिसम्पत्तियों के अंतर्गत डाला जाता था उसे उक्त लाइसेंसधारक से सी–डॉट द्वारा अधिग्रहीत भूमि तथा भवन के मूल्य के रूप में समझा जा सकता है। तदनुसार मई 2008 में स्थिर परिसम्पत्ति के रूप में इसे दर्शाते हुए मूल्य के पूंजीकरण द्वारा वर्ष 2007–08 का लेखा तैयार किया गया। तथापि इस मुद्दे की समीक्षा इस तथ्य के आलोक में की जानी थी कि संबंधित लाइसेंसधारक ने परिसम्पत्ति का औपचारिक रूप से सी–डॉट को हस्तांतरण नहीं किया था और सी–डॉट के पास संबंधित परिसम्पत्ति के औपचारिक हस्तांतरण के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे। अतः सितम्बर 2009 ने लेखाओं में संशोधन किया गया और वर्ष 2006–07 तक की मूल स्थिति को बनाए रखा गया। अनुसूची 16–लेखाओं संबंधी टिप्पणी में पैराओं का संदर्भ वर्ष 2007–08 के लिए लेखाओं संबंधी टिप्पणी के पैरा से है, जिसे मई 2008 में अंतिम रूप दिया गया था लेकिन जो अब संगत नहीं रह गया है।
3	पैरा 3	चूंकि सी–डॉट ने उस लाइसेंसधारक के स्थान का अधिभोग कर रहा है और इसे पलटा नहीं जा सकता था, अतः उपर्युक्त बकाया के समाशोधन के लिए पैरा (2) में दिए गए अनुसार कार्य किया गया। हम इसका पृष्ठांकन करते हैं।	ऊपर क्रम सं. 2 में की गई टिप्पणी में यथा वर्णित, प्रबंधन मंडल की राय है कि स्वामित्व का औपचारिक हस्तांतरण होने तक उपर्युक्त भूमि और भवन का पूंजीकरण नहीं किया जा सकता।
4	पैरा 4	उसके बाद सी–डॉट ने अपना विचार बदल लिया और यथा–स्थिति (पूर्ववर्ती वर्षों के समान) बनाए रखना चाहा। तदनुसार, लेखाओं को पुनः तैयार और प्रमाणित किया गया। इसके अध्यधीन, 31 मई 2008 की हमारी रिपोर्ट की विषयवस्तु वही रहती है और संलग्न वित्तीय विवरण के लिए समान रूप से लागू है।	कोई टिप्पणी नहीं।

कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कं.
सनदी लेखापाल
ह/–
एम. शिवकुमार (भागीदार)
सदस्यता सं. 23844

कृते सेंटर फॉर डेवलपमैंट ऑफ टेलीमैटिक्स

ह/–
पी.वी.आचार्य
कार्यकारी निदेशक

31 मार्च 2008 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सी–डॉट के खातों के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं उनके संबंध में प्रबंधन मंडल के उत्तर

सेवा में,

सदस्यगण,
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (केन्द्र)

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन मंडल का उत्तर
1	हमने टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र के 31 मार्च, 2008 तक के तुलनपत्र और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के प्राप्तियों और भुगतान लेखा तथा व्यय लेखे, जो उसके साथ संलग्न हैं, की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणिकाओं के लिए केन्द्र का प्रबंधन मंडल उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणिकाओं के बारे में अभिमत व्यक्त करना है।	यह तथ्य परक विवरण है। अतः कोई अतिरिक्त टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
2	हमने अपना लेखा परीक्षण भारत में सामान्य रूप से अपनाए गए लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। ये मानक अपेक्षाएं करते हैं कि हम अपना लेखा परीक्षण की योजना व निष्पादन इस तरह से करें कि इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या वित्तीय विवरणिकाएं अयथार्थ विवरण से मुक्त हैं। लेखा परीक्षण में परीक्षण आधार पर जांच, राशियों के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरणिकाओं का प्रकटीकरण शामिल होता है। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण, और प्रबंधन मंडल द्वारा तैयार किया गया महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे अभिमत के लिए युक्तियुक्त आधार उपलब्ध कराता है।	यह टिप्पणी भी तथ्यपरक है। इस टिप्पणी के माध्यम से लेखा–परीक्षक यह तथ्य बता रहे हैं कि वर्ष 2007–08 के लिए केन्द्र के वित्तीय विवरण, जिसकी इन्होंने लेखापरीक्षा की है, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा और लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप हैं। इस टिप्पणी में यह भी बताया गया है कि लेखा परीक्षकों द्वारा मूल्यांकित लेखाओं में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांत तथा केन्द्र के प्रबंधनमंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन ने उन्हें प्रबंधनमंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर राय बनाने का पर्याप्त आधार प्रदान किया है तथा यह उन्हें स्वीकार्य है।
3	हम रिपोर्ट देते हैं कि :– I). हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।	लेखा परीक्षक पुष्टि मात्र कर रहे हैं कि: केन्द्र ने उनके द्वारा अपेक्षित सभी सूचना प्रस्तुत कर दी है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन मंडल का उत्तर
ii).	हमारे विचार से और जैसाकि बही–खातों की जांच से पता चलता है, केन्द्र ने विधि द्वारा अपेक्षानुसार समुचित बही–खाता रखे हुए हैं...	उनके अभिमत में सी–डॉट द्वारा लेखाओं के उपयुक्त बही–खाते रखे गए हैं।
iii).	इस रिपोर्ट में दिया गया तुलनपत्र, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा और आय एवं व्यय लेखा, जिनके बारे में यह रिपोर्ट है, वे ऐसे बही–खातों से मेल खाते हैं...	सी–डॉट द्वारा रखे जा रहे उपर्युक्त बही खाते वर्ष के वित्तीय विवरण के साथ मेल रखते हैं।
iv).	हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त दस्तावेजों को उनसे संबंधित टिप्पणियों की शर्त के साथ पढ़ने पर भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत करती हैं: क. 31 मार्च, 2008 तक केन्द्र के कार्यों से संबंधित तुलन–पत्र के मामले में; ख. इसी तारीख तक आय और व्यय के लेखे एवं वर्ष के अंत तक आय से अधिक व्यय की अधिकता के मामले में, तथा ग. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए प्राप्ति और भुगतान के सार के मामले में।	यह टिप्पणी स्वतः स्पष्ट है और इसके लिए अन्य टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कं.
सनदी लेखापाल

ह/–
एम. शिवकुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 23844

स्थानः बंगलूर
दिनांकः 31 मई, 2008

कृते सेंटर फॉर डेवलपमैंट ऑफ टेलीमैटिक्स

ह/–
विजय मदान
कार्यकारी निदेशक

31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

(रूपये में)

	अनुसूची सं.	2008	2007
समग्र / पूंजीगत निधि और देयताएं			
समग्र / पूंजीगत निधि	1	3,212,583,367.53	3,046,631,075.07
सुरक्षित तथा अतिरेक राशियां	2	23,658,685.67	34,658,685.67
चालू देयताएं और प्रावधान	3	409,325,822.09	182,451,948.30
योग		**3,645,567,875.29**	**3,263,741,709.04**
परिसम्पत्तियां			
स्थायी परिसम्पत्तियां	4		
सकल मान		4,398,273,482.68	4,238,553,698.26
घटाएं: मूल्यह्रास		2,921,321,474.31	2,702,232,735.85
निविल मान		**1,476,952,008.37**	**1,536,320,962.41**
मार्गस्थ परिसम्पत्ति	4	0.00	2,722,125.00
भंडार में पूंजीगत मदें	4	0.00	1,217,072.00
पूंजीगत कार्य प्रगति में	5	1,027,062.00	880,719.00
निवेश–दीर्घकालीन	6	520,000,000.00	390,000,000.00
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम और जमा	7	1,647,588,804.92	1,332,600,830.63
योग		**3,645,567,875.29**	**3,263,741,709.04**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	15		
लेखांकन के संबंध में टिप्पण	16		

अनुसूचियां 1 से 7, 15 और 16 तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के बोर्ड के निमित्त और उसकी ओर से

ह / –
पी. वेंकटेसन
मुख्य वित्त अधिकारी

ह / –
पी.वी. आचार्य
कार्यकारी निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कं.
सनदी लेखापाल

स्थान: बंगलूर
दिनांक: 18 सितम्बर, 2009

ह / –
एम. शिवकुमार
भागीदार,
सदस्यता सं 23844

आय और व्यय लेखे

31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए

(रूपये में)

	अनुसूची सं.	2008	2007
आय			
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क, रॉयल्टी, एफएसआर तथा प्रकाशन	8	199,843,797.00	462,977,486.00
अर्जित ब्याज	9	13,222,159.17	6,096,803.68
अन्य आय	10	10,928,384.78	14,700,608.45
योग (क)		**223,994,340.95**	**483,774,898.13**
व्यय			
स्थापना व्यय	11	471,667,361.79	371,969,352.61
प्रचालन व्यय	12	108,463,754.62	139,418,677.30
अन्य प्रशासनिक व्यय	13	128,247,412.71	145,527,802.89
मूल्यह्रास	4	225,829,244.01	232,103,198.31
योग (ख)		**934,207,773.13**	**889,019,031.11**
इस वर्ष की आय से अधिक व्यय ग = (ख – क)		**710,213,432.18**	**405,244,132.98**
जोड़ें / घटाइए(–): पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन राशि	14	-8,744,758.64	33,332,923.64
जोड़ें: ग्रेच्यूटी का प्रावधान		92,579,034.00	0.00
आय से अधिक व्यय होने की अधिक राशि का शेष		**794,047,707.54**	**438,577,056.62**
जोड़ें: पिछले वर्षों की आय से अधिक व्यय		8,468,722,087.05	8,030,145,030.43
समग्र निधि / पूंजीगत निधि से अग्रेनीत घाटा का शेष		**9,262,769,794.59**	**8,468,722,087.05**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	15		
लेखांकन के संबंध में टिप्पण	16		

अनुसूचियां 4, 8 से 16 आय और व्यय लेखा के अभिन्न अंग हैं।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के बोर्ड के निमित्त और उसकी ओर से

ह / –
पी. वेंकटेसन
मुख्य वित्त अधिकारी

ह / –
पी.वी. आचार्य
कार्यकारी निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कं.
सनदी लेखापाल

स्थानः बंगलूर
दिनांकः 18 सितम्बर, 2009

ह / –
एम. शिवकुमार
भागीदार,
सदस्यता सं 23844

अनुसूची–1

समग्र / पूंजीगत निधि

(31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	2008		2007	
इलैक्ट्रॉनिकी विभाग से अनुदान (वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)				
संचित शेष राशि		335,200,000.00		335,200,000.00
दूरसंचार विभाग से अनुदान				
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	11,180,153,162.12		10,360,153,162.12	
जोड़ें: वर्ष के दौरान समग्र / पूंजीगत निधि के प्रति अंशदान	960,000,000.00	12,140,153,162.12	820,000,000.00	11,180,153,162.12
उप–योग (क)		**12,475,353,162.12**		**11,515,353,162.12**
घटाएं: आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल व्यय की शेष राशि (ख)		9,262,769,794.59		8,468,722,087.05
उप–योग (ख)		**9,262,769,794.59**		**8,468,722,087.05**
योग (क) – (ख)		**3,212,583,367.53**		**3,046,631,075.07**

अनुसूची–2

सुरक्षित तथा अतिरेक राशियां

(31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	2008		2007	
सामान्य सुरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	34,658,685.67		34,658,685.67	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	11,000,000.00	**23,658,685.67**	0.00	34,658,685.67
योग		**23,658,685.67**		**34,658,685.67**

अनुसूची–3

चालू देयताएं

(31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	2008		2007	
चालू देयताएं				
1. विविध लेनदार				
क) सामान के लिए	12,399,348.50		16,311,542.00	
ख) अन्य	52,610,371.26	65,009,719.76	66,695,251.00	83,006,793.00
2. प्राप्त अग्रिम				
– निधिक परियोजनाओं के लिए		86,435,568.33		52,599,776.22
3. सांविधिक देयताएं		7,021,839.00		5,965,931.00
4. अन्य चालू देयताएं		52,443,381.00		40,879,448.08
उप–योग (क)		**210,910,508.09**		**182,451,948.30**
प्रावधान				
1. ग्रेच्युटी	92,579,034.00		0.00	
2. छठे वेतन आयोग का बकाया	105,836,280.00	**198,415,314.00**	0.00	0.00
उप–योग (ख)				
योग (क+ख)		**409,325,822.09**		**182,451,948.30**

अनुसूची–4

स्थायी परिसम्पत्तियां

(31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	सकल मान				मूल्यह्रास				निवल मान	
	01.04.2007 को	वृद्धियां	समायोजन/बट्टे खाते में	31.03.2008 को	01.04.2007 को	वर्ष के दौरान	समायोजन/बट्टे खाते में	31.03.2008 को	31.03.2008 को	31.03.2007 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
भवन–कार्यालय	570,149,334.65	532,603.00	(631,542.00)	570,050,395.65	105,744,417.06	46,440,513.26	(99,154.00)	152,085,776.32	417,964,619.33	464,404,917.59
भवन–आवासीय	23,627,434.00	0.00	0.00	23,627,434.00	10,040,496.23	679,346.89	0.00	10,719,843.12	12,907,590.88	13,586,937.77
अनुसंधान तथा विकास मशीनरी	2,229,433,317.85	121,374,340.18	9,170,916.10	2,359,978,574.13	1,684,855,876.26	101,077,210.71	1,274,626.43	1,787,207,713.40	572,770,860.73	544,577,441.59
अनुसंधान तथा विकास कम्प्यूटर	659,266,793.78	30,290,884.08	(9,594,450.00)	679,963,227.86	641,109,781.55	26,766,069.79	(5,756,670.00)	662,119,181.34	17,844,046.52	18,157,012.23
कार्यालय उपस्कर एवं सामान	343,417,687.56	7,239,566.00	(2,748,835.00)	347,908,418.56	137,410,242.82	31,678,766.79	(693,602.89)	168,395,406.72	179,513,011.84	206,007,444.74
फर्नीचर और फिटिंग्स	253,673,113.31	3,722,011.00	(1,485,822.94)	255,909,301.37	84,085,904.82	17,327,986.57	(1,456,469.09)	99,957,422.30	155,951,879.07	169,587,208.49
पुस्तकालय की पुस्तकें	38,986,017.11	1,859,350.00	(9,236.00)	40,836,131.11	38,986,017.11	1,859,350.00	(9,236.00)	40,836,131.11	0.00	0.00
योग	**4,238,553,698.26**	**165,018,754.26**	**(5,298,969.84)**	**4,398,273,482.68**	**2,702,232,735.85**	**225,829,244.01**	**(6,740,505.55)**	**2,921,321,474.31**	**1,476,952,008.37**	**1,536,320,962.41**
मार्गस्थ परिसम्पत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	2,722,125.00
भंडार में पूंजीगत मदें	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,217,072.00
पिछले वर्ष का योग	**4,054,388,920.77**	**244,014,591.44**	**(59,849,813.95)**	**4,238,553,698.26**	**2,490,584,420.30**	**232,103,198.31**	**(20,454,882.76)**	**2,702,232,735.85**	**1,536,320,962.41**	**1,563,804,500.47**

अनुसूची–5

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(31 मार्च .... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	01.04.2007 को	वृद्धियां	स्थायी परिसम्पत्तियों के खाते में अंतरण	31.03.2008 को
कार्यालय परिसर– दिल्ली				
1. मुख्य अनुसंधान एवं विकास भवन	0.00	1,191,784.00	(1,191,784.00)	0.00
2. इलैक्ट्रो–मैकेनिकल सेवाएं	0.00	708,074.00	(708,074.00)	0.00
3. परिसर–आवासीय भवन	880,719.00	146,343.00	0.00	1,027,062.00
योग	**880,719.00**	**2,046,201.00**	**(1,899,858.00)**	**1,027,062.00**
पिछले वर्ष का शेष	**180,719.00**	**30,315,556.00**	**(29,615,556.00)**	**880,719.00**

अनुसूची 6

निवेश–दीर्घकालीन

(31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य (रू.)	2008		2007	
अनुधृत						
संयुक्त उद्यम कम्पनी						
1. सी–डॉट अलकाटेल रिसर्च सेंटर प्रा. लि. (सीएआरसी)	39,000,000	10	390,000,000.00		130,000,000.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवेश	13,000,000	10	130,000,000.00	**5,20,000,000.00**	260,000,000.00	**390,000,000.00**
योग				**520,000,000.00**		**390,000,000.00**

अनुसूची–7

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम और जमा राशि

(31 मार्च... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	2008		2007	
क. चालू परिसम्पत्तियां				
1. सामान सूची (प्रबंधन मंडल द्वारा अधीनीकृत मूल्यांकित और प्रमाणित)				
क. सामान सूची	168,511,785.84		158,130,781.51	
ख. मार्गस्थ सामान सूची	2,127,398.00	170,639,183.84	589,154.00	158,719,935.51
2. बैंक में जमा राशि				
क. अनुसूचित बैंकों में				
जमा खातों में	387,712,572.42		74,437,302.06	
बचत खातों में	12,102,150.92	399,814,723.34	18,914,863.75	93,352,165.81
योग – (क)		**570,453,907.18**		**252,072,101.32**
ख. ऋण और अग्रिम				
1. ऋण				
क. स्टाफ		1,931,456.00		1,875,291.00
2. अग्रिम और अन्य राशियां, जिनकी वसूली नकद या वस्तु के रूप में की जानी है या जिनका मूल्य प्राप्त किया जाना है				
क. ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	371,482,188.60		404,106,376.71	
ख. कर्मचारी	687,624.00		105,944.00	
ग. पूर्वदत्त व्यय	8,632,703.00	380,802,515.60	1,929,343.00	406,141,663.71
3. उपार्जित ब्याज				
क. ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	246,283.58		220,393.00	
ख. बैंक जमा राशि पर	2,953,613.00	3,199,896.58	530,099.29	750,492.29
4. वसूलीयोग्य दावे		629,488,778.56		639,104,739.31
5. स्रोत पर कटौती		47,897,820.00		23,940,011.00
6. प्राप्तियोग्य केंद्रीय ऋण		5,021,149.00		0.00
योग – (ख)		**1,068,341,615.74**		**1,071,812,197.31**
ग. जमा राशि				
क. कार्यालय भवन	0.00		45,000.00	
ख. अन्य	8,793,282.00		8,671,532.00	
योग– (ग)		**8,793,282.00**		**8,716,532.00**
योग (क+ख+ग)		**1,647,588,804.92**		**1,332,600,830.63**

अनुसूची–8

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रॉयल्टी, एफएसआर तथा प्रकाशन से आय

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2008		2007	
1) रॉयल्टी से आय				
– नकद प्राप्त	190,800.00		0.00	
– उपार्जित आधार पर संगणित	0.00	190,800.00	0.00	0.00
2) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से आय				
– नकद प्राप्त	38,300,000.00		5,000,000.00	
– उपार्जित आधार पर संगणित	0.00	**38,300,000.00**	0.00	**5,000,000.00**
3) कार्यक्षेत्र सहयोग से आय		**161,248,473.00**		**457,880,186.00**
4) प्रकाशनों से आय				
क) परिसर–निविदा दस्तावेजों की बिक्री	3,000.00			
ख) अन्य	101,524.00	104,524.00	97,300.00	97,300.00
योग		**199,843,797.00**		**462,977,486.00**

अनुसूची–9

अर्जित ब्याज

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2008	2007
1. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा राशि पर	12,184,985.59	5,683,437.55
2. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	589,771.29	175,809.05
3. कर्मचारियों/स्टाफ को दिए गए ऋण पर	239,612.29	237,557.08
4. अन्य	207,790.00	0.00
योग	**13,222,159.17**	**6,096,803.68**

अनुसूची–10

अन्य आय

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2008	2007
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	212,170.15	472,801.22
2. विविध आय	9,992,349.93	12,316,409.13
3. विदेशी मुद्रा के लेन–देन के कारण लाभ	623,590.70	134,140.10
4. एकत्रित मुआवजा–परिसर	100,274.00	1,777,258.00
योग	**10,928,384.78**	**14,700,608.45**

अनुसूची–11

स्थापना व्यय

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2008	2007
क) वेतन और मजदूरी	320,874,492.00	213,752,302.00
ख) बोनस	631,758.00	700,422.00
ग) भविष्य निधि में अंशदान	18,767,543.00	17,916,162.00
घ) अन्य निधि में अंशदान	4,830,888.00	5,218,201.00
ङ) कर्मचारियों को प्रदत्त ग्रेच्युटी	5,629,983.00	11,615,005.00
च) कर्मचारीवृन्द कल्याण व्यय	66,372,813.79	68,673,556.61
छ) आवासीय किराया और अनुरक्षण व्यय	48,047,306.00	52,293,050.00
ज) भर्ती और प्रशिक्षण व्यय	6,512,578.00	1,800,654.00
योग	**471,667,361.79**	**371,969,352.61**

अनुसूची–12

प्रचालन व्यय

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2008	2007
क) अनुसंधान एवं विकास संघटक और उपभोज्य	42,173,633.95	77,209,640.55
ख) भाड़ा और अग्रेषण प्रभार	3,922,174.00	3,715,736.00
ग) अनुसंधान एवं विकास और कार्यालय उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण	58,374,733.07	52,874,244.75
घ) अभिकल्प एवं विकास व्यय	3,157,599.60	4,859,675.00
ङ) परामर्शदात्री व्यय	528,016.00	759,381.00
च) परीक्षण व्यय	307,598.00	0.00
योग	**108,463,754.62**	**139,418,677.30**

अनुसूची–13

अन्य प्रशासनिक व्यय

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2008		2007	
क) यात्रा और वाहन व्यय		10,048,182.90		11,250,226.00
ख) वाहन–किराया प्रभार		327,432.00		482,606.00
ग) किराया, दरें और कर		818,294.00		823,930.00
घ) प्रदत्त ब्याज/हर्जाना		113,911.00		0.00
ङ) विद्युत और जल प्रभार		54,534,377.00		57,228,290.00
च) मरम्मत और अनुरक्षण–अन्य		28,652,756.00		42,890,101.23
छ) समाचारपत्र, पत्रिकाएं जर्नल और सीडी		5,769,188.00		2,203,444.00
ज) बीमा प्रभार		722,201.00		1,145,286.00
झ) मुद्रण, लेखन सामग्री, फोटोकॉपी, प्रशासन संबंधी उपभोज्य		7,893,445.88		6,415,262.09
ञ) डाक टिकट, टेलीफोन और सम्प्रेषण प्रभार		11,548,527.88		11,146,388.67
ट) प्रदर्शनी, विज्ञापन और प्रचार व्यय		3,873,670.00		2,969,039.00
ठ) सम्मेलन/संगोष्ठी/सदस्यता शुल्क पर व्यय		1,110,350.87		5,248,526.00
ड) विधिक, व्यावसायिक शुल्क और मानदेय		1,358,940.00		861,036.00
ढ) पेटेंट शुल्क		339,950.00		323,690.00
ण) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	127,000.00		142,545.00	
तुरंत देय व्यय	24,155.60		75,549.00	
अन्य सामर्थ्य में	3,500.00	154,655.60	0.00	218,094.00
त) आतिथ्य/मनोरंजन व्यय		137,117.00		837,605.00
थ) बैंक प्रभार		581,849.64		1,056,958.67
द) विदेशी मुद्रा के लेन–देन के कारण घाटा		95,840.94		193,873.91
ध) विविध व्यय		166,723.00		233,446.32
योग		**128,247,412.71**		**145,527,802.89**

अनुसूची–14

पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन (निवल)

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2008		2007	
	नामे	जमा	नामे	जमा
आय				
टीओटी, रॉयल्टी, एफएसआर तथा प्रकाशन	1,679,000.00	0.00	5,499,476.00	0.00
अर्जित ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य आय	91,290.00	0.00	982,963.00	0.00
व्यय				
स्थापना व्यय	0.00	2,829,147.00	4,332.00	0.00
प्रचालन व्यय	0.00	731,279.38	0.00	12,375,629.67
अन्य प्रशासनिक व्यय	0.00	1,718,145.70	43,578,257.35	0.00
मूल्यह्रास	0.00	5,236,476.56	0.00	4,356,475.04
योग	**1,770,290.00**	**10,515,048.64**	**50,065,028.35**	**16,732,104.71**
निवलः नामे / जमा		**8,744,758.64**	**33,332,923.64**	

प्राप्तियां और भुगतान

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए)

(रूपये में)

प्राप्तियां	2008	2007	भुगतान	2008	2007
I. बैंक शेष			**I. व्यय**		
क. जमा खाते में	74,437,302.06	218,122,591.00	क. स्थापना व्यय	360,825,456.36	361,083,469.61
ख. बचत खाते में	18,914,863.75	11,066,031.55	ख. प्रचालन व्यय	111,138,859.49	220,101,690.90
			ग. प्रशासनिक व्यय	152,270,554.88	155,649,268.62
II. प्राप्त अनुदान			**II. परियोजना प्रतिपूर्ति**		
– भारत सरकार से	1,100,000,000.00	760,000,000.00	**अदायगी**	34,396,440.20	3,901,883.25
III. प्रतिपूर्ति परियोजना			**III. अचल परिसम्पत्तियों एवं**		
प्राप्तियां	**76,622,123.26**	**32,701,071.00**	**पूंजीगत डब्ल्यूआईपी पर व्यय**		
			क. अचल परिसम्पत्तियों के लिए		
			भुगतान	142,261,936.77	73,963,336.25
IV. संयुक्त उद्यम प्राप्तियां	102,489.00	3,885,144.50	ख. पूंजीगत डब्ल्यू आई पी के		
V. प्राप्त ब्याज			लिए भुगतान	9,557,168.00	48,853,333.31
क. बैंक में जमा राशियों पर	10,407,526.14	6,429,699.60	**IV. संयुक्त उद्यम संबंधी अदायगी**		
ख. ऋण, अग्रिम आदि पर	86,512.00	159,949.00	क. निवेश	130,000,000.00	260,000,000.00
VI. अन्य आय			ख. अन्य	44,550.00	261,813.00
क. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	36,800,000.00	5,325,000.00	**V. ई.एम.डी/एस. डी. अदायगी**	5,420,629.00	4,563,707.00
ख. रॉयल्टी	4,391,742.00	21,233,596.00	**VI. समापन शेष**		
ग. कार्यक्षेत्र सहायता प्राप्तियां	11,723,442.00	148,860,647.00	बैंक शेष		
घ. ई.एम.डी/एस.डी. प्राप्तियां	8,057,489.83	6,215,598.00	क. जमा खाते में	387,712,572.42	74,437,302.06
ड. विविध आय	4,186,828.00	7,731,340.10	ख. बचत खाते में	12,102,150.92	18,914,863.75
योग	**1,345,730,318.04**	**1,221,730,667.75**	**योग**	**1,345,730,318.04**	**1,221,730,667.75**

अनुसूची 15– महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(31 मार्च 2008 को समाप्त अवधि के लिए लेखा के भाग के रूप में)

क्र.सं.	नीति विवरण

1. सामान्य

तुलन पत्र, आय तथा व्यय लेखा, 1 से 14 तक अनुसूचियां और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा सहित वर्ष के वित्तीय विवरण, जो कि यहां उल्लिखित नीतियों पर आधारित हैं, को ''चालू महत्व'' की संकल्पना पर तैयार किया गया है।

2. विदेशी मुद्रा का लेन–देन

(क) आय तथा व्यय का लेखा

वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा को प्रभावित करने वाले लेन–देन को संबधित तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है।

(ख) प्राप्ति तथा भुगतान योग्य राशियां

तुलन पत्र की तारीख को प्राप्ति योग्य अथवा भुगतान योग्य दर्शाई गई राशि के लेन–देन को तुलन–पत्र की तारीख को प्रचलित विनियम दरों पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है।

3. अचल परिसंपत्तियां

(क) इन लेखाओं में अचल परिसंपत्तियां पुरानी लागत पर दर्शाई गई हैं।

(ख) अचल परिसंपत्तियों का यहां उप–पैरा (च) में वर्णित नीति के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास किया जाता है। तथा तत्पश्चात शेष को आगामी वर्ष में अग्रेषित किया जाता है। तथापि, अचल परिसंपत्तियों के मामले में, जिनकी लागत 5,000 रूपये से अधिक नहीं है, उनकी पूरी लागत को अधिग्रहण के वर्ष में ही राजस्व से प्रभारित कर लिया जाता है।

(ग) पुस्तकालय की पुस्तकों को किसी भी मूल्य की होते हुए भी प्राप्ति के वर्ष में ही प्रभारित किया जाता है।

(घ) अनुसंधान और विकास परिसर तथा आवासन जैसी सामाजिक सुविधाओं पर व्यय को पूंजीकरण होने तक ''चालू पूंजीगत कार्य'' दर्शाया गया है।

(ड.) वर्ष के दौरान साख–पत्र इत्यादि जैसी व्यवस्था के अंतर्गत खरीदे गए अनुसंधान और विकास उपस्करों तथा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य इन वित्तीय विवरणों में निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

क्र.सं.	नीति विवरण

(i) जहां केन्द्र द्वारा तुलन–पत्र की तारीख अथवा उससे पहले परिसंपत्तियां प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है, वहां संबंधित उपकरण का पूंजीकरण किया गया, उसके सकल मूल्य के लिए तदनुरूप देयता के लिए लागू दरों पर मूल्यह्रास किया गया है।

(ii) दूसरी ओर, जहां तुलनपत्र की तारीख को परिसंपत्तियां मार्गस्थ हैं और प्रयोग नहीं की जा रहीं तथा उसके लिए भुगतान किया/नहीं किया गया है, हालांकि आपूर्तिकर्ता से संगत दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं, वहां ऐसी सामग्री तदनुरूप देयताओं सहित अचल परिसंपत्ति संबंधी अनुसूची में ''मार्गस्थ परिसंपत्ति'' में दर्शाई गई हैं।

(iii) जहां सामग्री का आदेश नहीं किया गया है और न ही तुलन–पत्र की तारीख तक संगत दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और न ही उनके संबंध में भुगतान किया गया है, ऐसी परिसंपत्तियों के मूल्य के संदर्भ में लेखाओं में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

4. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास

(क) इस प्रयोजन के लिए समय–समय पर यथा–लागू आयकर नियमावली 1962 (नियम) द्वारा उपलब्ध कराई गई दरें अपनाई गई हैं।

(ख) तथापि, वर्ष के दौरान संस्थापित और प्रयुक्त अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नियमों के प्रावधान के अनुसार संपूर्ण वर्ष के लिए पूरी दरों पर किया जाता है, चाहे उस परिसंपत्ति को प्रयोग में लाने की तारीख कोई भी हो।

(ग) वर्ष के दौरान बेची, बेकार अथवा निपटान की गई परिसंपत्तियों के संदर्भ में कोई मूल्य मूल्यह्रास नहीं किया जाता।

(घ) ऊपर पैरा 3 (ड.) (2) में यथा वर्णित मार्गस्थ परिसंपत्तियों के मामले में कोई मूल्यह्रास नहीं किया जाता है।

(ङ) विगत में जब नियमों में संयंत्र और मशीनरी तथा कम्प्यूटर/कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए एक समान मूल्यह्रास दर का प्रावधान था, तब कम्प्यूटर सहित सभी अनुसंधान और विकास उपस्करों को मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए एक ही परिसंपत्ति समूह में डाले जाते थे। तथापि, बाद में नियमों में संशोधन हुआ और सामान्य संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर के लिए अलग–अलग दरों का प्रावधान किया गया, अब केवल कम्प्यूटरों का मूल्यह्रास ही उच्च दरों पर किया गया है जबकि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का मूल्यह्रास संयंत्र और मशीनरी के लिए निर्धारित कम दरों पर किया गया है।

5. संघटकों की माल–सूची

(क) इनका मूल्यांकन 'लागत' पर किया जाता है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए 'लागत' में समय–समय पर निर्धारित दरों पर ऊपरी खर्चे भी शामिल होते हैं।

(ग) 'लागत' के निर्धारण के लिए सचल अधिमानता औसत की पद्धति अपनाई गई है।

क्र.सं.	नीति विवरण

6. कर्मचारियों को ऋण

(क) इनकी वसूली अधिकतम 40 किस्तों में समान मासिक किस्त में की जाती है।

(ख) पहले बकाया राशि के मूलधन की वसूली की जाती है। यह किस्तों की सहमत संख्या में किया जाता है। मूलराशि की वसूली के बाद ब्याज वसूला जाता है। तथापि, कर्मचारियों के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज का लेखांकन तुलन–पत्र की तारीख को प्रोद्भवन संकल्पना को अपनाकर किया जाता है।

(ग) ऋण तथा उस पर देय ब्याज की वसूली संबंधित कर्मचारियों के मासिक वेतन के माध्यम से की जाती है। इन पर संबंधित कर्मचारी की ''पुष्टि'' तथा सहमति मान ली जाती है।

(घ) वर्ष के दौरान संगठन से सेवा छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों के मामले में ऋण की बकाया राशि तथा उस पर देय ब्याज की वसूली अंतिम समाधान के समय कर ली जाती है।

7. अग्रिम

(क) <u>कर्मचारियों को</u>

(i) यह भी संबंधित कर्मचारी के मासिक वेतन से वसूल किया जाता है।

(ii) परिणामस्वरूप, ऐसी अग्रिम राशि को संबंधित कर्मचारियों द्वारा पुष्ट और स्वीकृत समझा जाता है।

(ख) <u>आपूर्तिदाताओं और ठेकेदारों को</u>

(i) ऐसे आग्रिम, आपूर्तियों अथवा सेवाओं के लिए संगत समझौते के तहत किए जाते हैं।

(ii) ऐसे अग्रिम तब भी दिए जाते हैं, जब खरीद आदेश के अंतर्गत आपूर्तिदाता/ठेकेदार को संघटकों, उपकरण तथा सेवाओं के लिए बैंकों के माध्यम से की गई व्यवस्था से भुगतान किया जाता है।

(iii) ऐसे अग्रिम का समायोजन आपूर्तिदाता द्वारा आपूर्ति पूरी होने अथवा सेवा प्रदाता द्वारा सेवाएं दिए जाने के बाद सामान्य तरीके से किया जाता है

8. जमा राशियां

क. लीज़ में लिए गए आवासीय भवन के मकान मालिकों को

(i) केन्द्र के बंगलूर कार्यालय के कर्मचारियों को 10 महीने के किराये के बराबर राशि अग्रिम दी जाती है। यह अग्रिम लीज़ की अवधि समाप्त होने तक ''जमाराशि'' के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

(ii) ऐसी ''जमाराशि'' पर मौजूदा प्रथा के अनुसार कोई ब्याज अर्जित नहीं होता।

(iii) दिल्ली कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, यहां प्रचलित प्रथा के अनुसार तीन महीने के किराये

क्र.सं. नीति विवरण

के बराबर राशि लीज़ की शुरूआत में दी जाती है, तथा इस अग्रिम को दिया गया किराया समझा जाता है, ''जमाराशि'' नहीं, जबकि बंगलूर में इसे ''जमा राशि'' समझा जाता है। बंगलूर कर्मचारियों के लिए लीज़ के मामले में ''जमा राशि'' के अतिरिक्त, किराया भी दिया जाता है।

(ख) विविध जमा राशि

इस शीर्ष के अंतर्गत पानी, बिजली और स्टाफ कैंटीन के लिए गैस जैसी सुविधाओं हेतु जमा राशि को डाला जाता है तथा उक्त सेवा के प्रयुक्त होने तक दर्शाया जाता है।

9. चालू परिसंपत्तियां तथा देयताएं

(क) <u>चालू परिसंपत्तियां</u>

(i) केन्द्र द्वारा दूरसंचार प्रचालाकों अथवा सरकारी एजेंसियों के लिए शुरू की गई परियोजनाओं पर हुए व्यय को, तुलन–पत्र की तारीख को वसूल न की गई बकाया राशि की हद तक, चालू परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में गिना जाता है।

(ii) इसी प्रकार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/रॉयल्टी आय, दूरसंचार प्रचालकों से फील्ड समर्थन के लिए मिले शुल्क तथा अन्य आय को संबंधित संगठन से वसूली योग्य माना जाता है, जो आमतौर पर प्रोद्भवन आधार पर होता है।

(iii) सरकारी एजेंसियों तथा पीएसयू से बकाया होने के कारण ऐसी राशियों को वसूली योग्य माना जाता है। अतः इसके किसी हिस्से के लिए कोई प्रावधान आमतौर पर नहीं किया जाता है।

(ख) <u>वर्तमान देयताएं</u>

(i) केन्द्र द्वारा अन्य एजेन्सियों के लिए की गई परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया गया है।

(ii) उक्त परियोजनाओं के संबंध में हुए व्यय के बाद आवधिक रूप से ऊपर (क) में दर्शाई राशि से बकाया होने पर, इसे आय तथा व्यय लेखे में शामिल किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

10. निवेश

(क) अन्य अनुसंधान और विकास कंपनी की इक्विटी पूंजी में कुल अंशदान को इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(ख) ये निवेश दीर्घावधिक प्रकृति के हैं।

(ग) इन्हें वित्तीय विवरण में ''लागत'' के रूप में दर्शाया गया है।

क्र.सं.	नीति विवरण

11. तुलन–पत्र की तारीख को बकाया देयताओं के लिए प्रावधान

(क) जहां आदेशित माल/सेवाएं उस तारीख तक प्राप्त हो जाती हैं लेकिन उनके बिल प्राप्त होने पर भी भुगतान नहीं किया जाता है, उनके लिए प्रावधान करने हेतु कुल मूल्य के आधार पर किया जाता है।

(ख) तुलन–पत्र की तारीख तक जहां आदेशित माल/सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं किंतु उनके बिल नहीं मिलते, उनके लिए प्रावधान इस संदर्भ में केन्द्र को ज्ञात मूल्य के आधार पर किया जाता है।

(ग) अन्य सभी मामलों में, वित्तीय विवरण तैयार करते समय कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

12. संघटक तथा अन्य सामग्री की खरीद

ऐसे मामलों में, अपनाई गई नीति ऊपर पैरा 3 (ङ) (i से iii) में उल्लिखित ''अचल परिसंपत्तियों'' के मामले में अपनाई गई नीति के समान है।

13. राजस्व मान्यता

(क) सभी आय का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(ख) व्यय के मामले में भी पात्र कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के मामलों को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर लेखांकन किया जाता है। अनुग्रह राशि का भुगतान तभी किया जाता है जब ऐसे भुगतान के लिए भारत सरकार की उस वर्ष की नीति में समान स्तर का प्रावधान हो।

(ग) विगत वित्तीय वर्षों से संबंधित आय तथा व्यय का लेखांकन निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि होने पर ''पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित समायोजन'' के अंतर्गत किया जाता है।

(i) समायोजन लिपिकीय भूल के कारण है।

(ii) ऐसी लिपिकीय भूल का पता चालू वित्त वर्ष में लगा हो।

(iii) ऐसी लिपिकीय भूल एक अथवा अधिक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित है/हैं, तथा

(iv) इसका मूल्य प्रत्येक मामले में 5,000/– रूपये से अधिक हो।

(घ) अन्य सभी व्यय तथा आय को क्रमशः चालू वर्ष के व्यय तथा आय के रूप में समझा जाता है।

अनुसूची–16

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(31 मार्च 2008 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं के भाग के रूप में)

1.0 अचल परिसंपत्तियां

1.1. अचल परिसंपत्ति में शामिल हैं:

(क) दिल्ली में 40 एकड़ फ्री होल्ड भूमि (पूर्व वर्ष–40 एकड़)

(ग) अचल परिसंपत्ति में उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं, जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं।

1.2 भौतिक सत्यापन

(क) अचल संपत्तियों के लिए लेखांकन की औपचारिक पद्धति 1993–94 से प्रचालन में है। इस पद्धति के अंतर्गत, वर्ष के दौरान प्राप्त सभी तकनीकी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। तथापि, वर्ष के दौरान खरीदी गई प्रशासनिक परिसंपत्तियों, जैसे फर्नीचर, कार्यालय उपकरण इत्यादि का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

(ख) अचल संपत्तियों के संदर्भ में भौतिक तथा वित्तीय रिकॉर्डों के बीच सामने आई और पिछले वर्षों से अग्रेशित विसंगतियां, केन्द्र के बंगलूर और दिल्ली केन्द्र में क्रमशः 0.68 लाख रूपये तथा 1.76 लाख रूपये हैं। इनका समाशोधन तथा लेखाओं में उचित रूप से इनकी गणना की जानी है। बंगलूर कार्यालय की राशि को प्राशासनिक प्रयासों के पूर्ण होने पर समाशोधित कर लिया जाएगा किंतु बाद की शेष राशि की गणना एक कर्मचारी के विरूद्ध जांच प्रक्रिया, जो पिछले पांच वर्ष से एक जांच प्राधिकारी के अधीन है, पूरी होने तथा जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही की जा सकेगी।

2.0 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

2.1 दिल्ली स्थित परिसर में प्रस्तावित आवासीय सुविधा पर वर्ष 2007–08 के दौरान खर्च किए गए 1.46 लाख रूपये (पूर्व वर्ष–7.00 लाख रूपये) की राशि को लेखाओं में इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2.2 दिल्ली में उक्त आवासीय सुविधा पर संचयी व्यय 10.27 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 8.81 लाख रूपये) था।

2.3 प्रस्तावित आवासीय सुविधा पर ऐसे सभी व्यय के जोड़ को इसके पूर्ण होने के वर्ष में केन्द्र के लेखाओं में पूंजीकृत किया जाएगा।

3.0 चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

3.1 कर्मचारियों को दिए गये अग्रिम के संदर्भ में जहां कहीं विसंगति देखी गई, इन लेखाओं को तैयार करते समय उपयुक्त प्रभाव दिया गया है।

3.2 केन्द्र द्वारा समय–समय पर अन्य संगठनों की ओर से की गई परियोजनाओं के कारण वसूली योग्य कुल राशि 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार 2031.91 लाख रूपये है (31.3.2007 को 1971.94 लाख रूपये)

3.3 वित्तीय वर्ष 2000–01 में लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली अपनाने के कारण लाइसेंसधारकों से बकाया प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क/रॉयल्टी की गणना भी प्रोद्भवन आधार पर की गई। लाइसेंसधारकों से बकाया कुल राशि 31.3.2008 को 3692.55 लाख रूपये (31.3.2007 को 3736.35 लाख रूपये) थीं।

3.4 इस केन्द्र द्वारा लगातार अपनाई जा रही लेखांकन नीति के अनुसार केन्द्र के लाइसेंसधारकों को तकनीकी समर्थन के हिस्से के रूप में विगत में खरीदे गए, किंतु लाइसेंसधारक को वास्तव में हस्तांतरित नहीं किए गए संघटकों को वर्षांत की माल–सूची के मूल्य में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे संघटकों का मूल्य 68.63 लाख रू. था (31.3.2007 को 117.34 लाख रू.)।

3.5 इन लेखाओं को तैयार करते समय, विगत में प्राप्त संघटकों का मूल्य संबंधित वर्षों के लेखाओं में उपभुक्त माल लिया गया था, लेकिन बाद में इनके अभिरक्षकों ने वर्ष के दौरान इन्हें भण्डार में जमा करा दिया अतः इन्हें वर्षान्त की माल–सूची में शामिल किया गया है। ऐसे संघटकों का मूल्य 56.65 लाख रू. (पूर्व वर्ष 126.40 लाख रू.) था।

3.6 चूंकि केन्द्र का विचार था कि यह ''सरकार'' का हिस्सा है, अतः यह समझा गया कि वर्ष 2005–06 से लागू तथा बाद में संशोधित उपांत लाभ कर (फ्रिंज बेनिफिट टैक्स) कानून के प्रावधान केन्द्र के मामले में लागू नहीं होंगे। अतः इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4.0 प्रावधान नहीं की गई आकस्मिक देयताएं

4.1 संघटकों और उपकरण के लिए खरीद आदेश के संदर्भ में बैंकरों द्वारा जारी साख–पत्र, जिनकी मियाद अभी बाकी है.....31.3.2008 की स्थिति के अनुसार 2.74 लाख रू. (31.3.2007 को 85.40 लाख रु.)

4.2 केन्द्र की ओर से/द्वारा दी गई बैंक गारंटियां.....97.05 लाख रू. (पूर्व वर्ष 132.49 लाख रू.)

5.0 आय तथा व्यय लेखा

5.1 यद्यपि केन्द्र अपनी सभी आय के लिए प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली अपनाता है, तथापि किसी भी लाइसेंसधारक द्वारा, यदि कोई हो, बिक्री संबंधी सूचना नहीं होने के नाते प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/रॉयल्टी के संदर्भ में किसी आय का इस आधार पर विचार नहीं किया गया।

5.2 अपनाई गई लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति के अनुसार केन्द्र द्वारा चालू वर्ष के दौरान एक दूरसंचार प्रचालक को दिए गए समर्थन के लिए शुल्क के रूप में 1362.50 लाख रू. की राशि को इस वर्ष के लेखाओं में शामिल किया गया है। (पूर्व वर्ष 3000.00 लाख रू.) यह इस तथ्य के बावजूद है कि संबंधित दूरसंचार प्रचालक ने पूर्व वर्ष के अंत तक बकाया 3000.00 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया और न ही चालू वर्ष के लिए बकाया राशि के किसी हिस्से का भुगतान किया है। इस बकाया राशि के किसी भी हिस्से को गैर वसूलीयोग्य नहीं समझा जा रहा है क्योंकि वह दूरसंचार प्रचालक भारत सरकार का एक संगठन है अतः इसे शासकीय ऋण के बराबर समझा जा रहा है।

5.3 केन्द्र को सलाह दी गई है कि 1.6.2007 तक कम से कम उसके कार्यकलापों के संदर्भ में सेवाकर का कोई दायित्व नहीं है। तथापि, तर्कसंगत सिद्धांतों तथा भारतीय सणदी लेखाकार संस्थान की सिफारिशों का पालन करने पर सेवा कर का दायित्व हो गया है तथा इन लेखाओं को तैयार करते समय 1.6.2007 से 31.3.2008 की अवधि के लिए फील्ड समर्थन हेतु शुल्क के संदर्भ में उचंत खाता रखा गया है। हालांकि संबंधित दूरसंचार प्रचालक से शुल्क वास्तविक रूप से प्राप्त होने पर ही सेवा कर देय होगा।

5.4 केन्द्र अपने कर्मचारियों को मूल वेतन तथा कुछ अन्य भत्तों का भुगतान केन्द्रीय सरकार की प्रणाली के अनुसार करता है। तदनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशें स्वीकार किए जाने की संभावना को देखते हुए मूल वेतन तथा ऐसे अन्य भत्तों में संभावित वृद्धि के लिए चालू वित्त वर्ष में केन्द्र के लेखाओं में प्रावधान किया गया है। चूंकि सीपीसी की सिफारिशें 1.1.2006 की अवधि से लागू होने की संभावना है, अतः इन लेखाओं को तैयार करते समय ये प्रावधान किया गया। इस प्रकार प्रावधान की गई राशि 1058.36 लाख रू. (पूर्व वर्ष–शून्य) परिणामस्वरूप, स्थापना व्यय पर हुआ खर्च (अनुसूची 11) इस राशि से ऊपर चला गया।

5.5 यद्यपि सी–डॉट उपविधि में प्रावधान है कि केन्द्र में आईटीआई की तर्ज पर ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट होगा, लेकिन अब तक ऐसा कोई ट्रस्ट स्थापित नहीं किया जा सका और न ही पात्र कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के अनुसार देयताओं का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सका। इस संबंध में, अनसूची–15–महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, जोकि 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लेखाओं का हिस्सा है, के पैरा 12 (ख) (।) पर ध्यान दें। केन्द्र अब तक पात्र कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी का दायित्व नकद आधार पर निभा रहा है। चालू वर्ष के लेखा तैयार करते समय पथांतर किया गया है, कि मान लीजिए अगर सभी पात्र कर्मचारी 31.3.2008 को अपनी ग्रेच्युटी के लिए दावा करते हैं, इस स्थिति में देय राशि का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष के लेखाओं में इस प्रकार किए गए प्रावधान की राशि 925.79 लाख रूपये (पूर्व वर्ष–शून्य) है। यह प्रावधानः

(क) केन्द्र से भविष्य में सेवा छोड़ने वाले पात्र कर्मचारी को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाएगा, और

(ख) भावी वर्षों के लिए लेखा तैयार करते समय इसमें उपयुक्त रूप से वृद्धि की जाएगी। इस नई प्रथा को शुरू करने के परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी भुगतान का समाधान नकद आधार पर करने की प्रणाली अगले वित्तीय वर्ष से समाप्त हो जाएगी।

5.6 वर्ष के दौरान उपभुक्त संघटकों का मूल्य 421.74 लाख रू. (पूर्व वर्ष–772.10 लाख रू.) था। यह मूल्य 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार संघटकों के भंडार तथा 2007–08 के दौरान खरीद के कुल मूल्य से 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार समापित भंडार के मूल्य को घटाकर प्राप्त किया गया है।

6.0 सामान्य टिप्पणी

6.1 चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में लेन–देन पर विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप 5.28 लाख रू. का लाभ हुआ (पूर्व वर्ष–0.60 लाख रू. का घाटा)।

6.2 केन्द्र द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की प्रकृति ऐसी है कि यह उत्पादों के ''विनिर्माण'' और ''बिक्री'' में नहीं आते। परिणामस्वरूप, विनिर्मित उत्पादों और उनकी बिक्री के कराधान के लिए लागू कानून इस केन्द्र पर प्रभावी नहीं होते। तथापि, केन्द्र द्वारा दी जा रही कुछ तकनीकी सेवाओं को सेवाकर के दायरे में आने वाली सेवाओं के रूप में माना गया है।

6.3 पूर्व वर्षों के आंकड़ों को आवश्यक होने पर पुनर्वर्गीकृत अथवा पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

———

सी-डॉट
C-DOT

हमारे बैंकर

केनरा बैंक
12, आराधना एन्क्लेव
सेक्टर–13, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110 066

सिंडिकेट बैंक
कार्पोरेट वित्त शाखा
6, सरोजनी हाऊस, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली–110 001

केनरा बैंक
केआईएडीबी बिल्डिंग, बोमासेंड्रा इंडस्ट्रियल एरिया कॉम्पलैक्स,
होसुर रोड, बोमासेंड्रा
बंगलूर – 560 099

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सोना टावर्स, 71/1, मिल्लर्स रोड,
बंगलूर–560 052

हमारे कानूनी लेखाकार

के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्स
चौथा तल, जेलिटा टावर्स
21/1, मिशन रोड
बंगलूर–560 027

हमारे कार्यालय

सी–डॉट
सी–डॉट परिसर
महरौली, नई दिल्ली–110 030

सी–डॉट
इलैक्ट्रॉनिक्स सिटी, फेज 1
होसुर रोड, बंगलूर–560 100

सी–डॉट
सी–डॉट फील्ड समर्थन केंद्र
सीटीएस मुख्य भवन, बी ब्लॉक
6ठी मंजिल, पी–94, ट्रांस्पोर्ट डिपो रोड
कोलकता–700 088

सी-डॉट
C-DOT

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स

सी–डॉट परिसर, महरौली, नई दिल्ली– 110 030

www.cdot.co.in